बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSP(H)CL–03 / 2025– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– राज्य के दोनों वितरण कंपनियों यथा– नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन 104 अद्‌द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 1576.52 करोड़ (एक हजार पॉच सौ छिहत्तर करोड़ बावन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 34.66 करोड़ (चौंतीस करोड़ छियासठ लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–2418 दिनांक–22.05.2025 द्वारा राज्य के दोनों वितरण कंपनियों यथा– नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन 104 अद्‌द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 1576.52 करोड़ (एक हजार पॉच सौ छिहत्तर करोड़ बावन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 945.91 करोड (नौ सौ पैंतालीस करोड़ इक्यानवे लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 630.61 करोड़ (छः सौ तीस करोड़ इकसठ लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा दोनों वितरण कंपनियों को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 55.00 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 45.65 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त 91.29 करोड़ रूपये हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा मांग की गयी है, जिसमें से CFMS में उपलब्ध आवंटन के आधार पर तत्काल 34.66 करोड़ रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में राज्य के राज्य के दोनों वितरण कंपनियों यथा– नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन 104 अद्‌द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आर0डी0एस0एस0 योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 1576.52 करोड़ (एक हजार पॉच सौ छिहत्तर करोड़ बावन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में 34.66 करोड़ (चौंतीस करोड़ छियासठ लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बजट मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA017) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA017 से की जाएगी।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या–827 दिनांक–11.02.2026 एवं आवंटनादेश संख्या–17 दिनांक–13.02.2026 को विभागीय पत्रांक–1464 दिनांक–16.03.2026 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0 / BSP(H)CL–03 / 2025 के पृष्ठ संख्या–17 / टि0 पर दिनांक–16.05.2025 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0 / BSP(H)CL–03 / 2025 के पृष्ठ संख्या–60 / टि0 पर दिनांक–21.05.2026 को प्राप्त है।

10. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSP(H)CL–03 / 2025– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSP(H)CL–03 / 2025– 2846 / पटना, दिनांक– 29.05.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.05.26

सरकार के संयुक्त सचिव।